

9/10/24

महाराजगी पेश हुई न कोरु प्रार्थी अपन  
 न कोरु प्रार्थी की कस सुनी गई। महाराजगी  
 न रामानुज (कांडावनेमनकोरु) प्रार्थी की कस  
 का मसन कोरु पा एड सु रिक्कारा पाएईच  
 है कि रामसहाय की मृत्यु के उपरान्त विरासत  
 नामान्तरण श्रीमति राजेश्वरी पत्नी रंग अशोक  
 नाका व आशा पुत्री के नाम तर्शुक  
 हुआ था। राजेश्वरी की मृत्यु हो चुकी है।  
 प्रार्थी अपने आप को राजेश्वरी का उत्तराधिकार  
 मानते हुए राजेश्वरी मृतक के नाम रामानुज कांड  
 में दर्ज वादग्रस्त अकि का हिल्ला प्रार्थी/वारी  
 को धोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वाद में  
 साक्ष्य व सबूत व वातावरण के आधार पर  
 वारी के वाद का गिण्टि किया जावेगा। प्रथमदक्षक  
 कस व अविद्याका समुल्लेख प्रार्थी के पक्ष में  
 कही जावे जावे है। अंतः प्रार्थी का प्रार्थना  
 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा रवा/७ किण जावई  
 पेशवारी नामा ए कांड एका वाद तफरीक  
 मुक्त कर के छोड़ सलग हो। सुनावावा

उप- अधिकारी  
 जयपुर, तृतीय (सांगानेर)



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर सांगानेर, जिला जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या:-...../2024

भगवानसहाय शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा जाति- ब्राह्मण,  
 मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

बनाम

1. हीरालाल पुत्र हरसहाय ✓
  2. रामजीलाल पुत्र हरसहाय ✓
  3. रामस्वरूप पुत्र हरसहाय ✓
  4. आशा देवी पुत्री रामसहाय
  5. शोभा देवी पुत्री रामसहाय ✓
- समस्त जाति- ब्राह्मण समस्त निवासी ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
6. कंचन पत्नी आशीष शर्मा ✓
  7. आशीष शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा
- समस्त जाति- ब्राह्मण, समस्त निवासी-16-ए, मिलिन्द कॉलोनी, मध्यप्रदेश
8. तहसीलदार जरिये राजस्थान सरकार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
  9. उपपंजियक सांगानेर तहसील परिसर सांगानेर जिला जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

महोदय,

प्रार्थी की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत

*[Handwritten Signature]*

